निबंधित-डाक से/ई-मेल

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

कार्यालय आदेश

सं०–उ०नि०–02–27/2025–3217/ पटना, दिनांक–29.09.26

उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित निम्नलिखित कर्मियों को कार्यहित में अगले आदेश तक स्तंभ–05 में अंकित कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

क्र० सं०	कर्मियों का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान/कार्यालय	प्रतिनियुक्ति स्थान/कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री मो० शमशेर अली	उर्दू अनुवादक	समाहरणालय, दरभंगा (जिला उर्दू भाषा कोषांग)	**बिहार उर्दू अकादमी, पटना**
2	श्री नूरूस सलाम	उर्दू अनुवादक	प्रखंड कार्यालय, घोषी, जहानाबाद	**बिहार राज्य सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड, पटना**

2. उपर्युक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान प्रतिनियुक्ति कार्यालय द्वारा प्रेषित अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

3. उपर्युक्त कर्मियों को एक सप्ताह के अंदर प्रतिनियुक्ति कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

29/9/26

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

ज्ञाप संख्या :–उ०नि०–02–27/2025–1992/ पटना, दिनांक–29.09.26

प्रतिलिपि :– संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त प्रतिनियुक्त कर्मी अपने प्रतिनियुक्ति कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– संबंधित कार्यवाह सहायक, उर्दू निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंधक आई०टी०, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, दरभंगा/जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/26

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

ज्ञाप संख्या :–उ०नि०–02–27 / 2025–1992 / पटना, दिनांक–29.09.26

प्रतिलिपि :– ज़िला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा / जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ज़िला पदाधिकारी, दरभंगा / जहनाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार उर्दू अकादमी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।